संख्या-1483/2025/2056/22-2-2023-17(532)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2025*

विषय:- जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी देवसुती पत्नी श्री गंगाराम, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी देवसुती पत्नी श्री गंगाराम, हीरपुर, थाना-सेहरामऊ, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। महिला बन्दी द्वारा खेत में मूंगफली तोड़ने के विवाद को लेकर दिनांक 19.09.2011 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट कर रामबेटी नामक महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2013 में भा0द0वि0 की धारा-304/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं0-02, शाहजहांपुर के दण्डादेश दिनांक 17.01.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। महिला बन्दी द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त 10 वर्ष के कारावास की सजा के सापेक्ष दिनांक 25.06.2021 तक अपरिहार 01 वर्ष, 06 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 10 माह, 10 दिन की भोगी गयी सजा, महिला बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी देवसुती (बन्दी संख्या-07/2020) पत्नी श्री गंगाराम, निवासी जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बंदी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1483/2025/2056(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ, जिला कारागार, शाहजहॉपुर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in